



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052022-236106
CG-DL-E-30052022-236106

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379]
No. 379]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 30, 2022/ज्येष्ठ 9, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MAY 30, 2022/JYAISTHA 9, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2022

सा.का.नि. 400(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति, नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति (संशोधन), नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति, नियम, 2022, के नियम (2) में,-
(i) क्रम संख्या (1) और उससे संबंधित प्रवृत्तियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रवृत्तियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“(1) श्री इन्द्रदीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय”;

(ii) क्रम संख्या (7) और उससे संबंधित प्रवृत्तियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रवृत्तियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“(8) श्री अमरजीत चोपड़ा, पूर्व-अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

(9) श्री अनिल शर्मा, भागीदार, (मैसर्स ए. शर्मा और कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स), नई दिल्ली।”

[फा. सं. एनएफआरए-05/6/2018-एनएफआरए-एमसीए]

इन्द्रदीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2022

G.S.R. 400(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Financial Reporting Authority appointment of Part-time members, Rules, 2022, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the National Financial Reporting Authority appointment of Part-time members (Amendment), Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Financial Reporting Authority appointment of Part-time members, Rules, 2022, in rule (2),-

(i) for serial number (1) and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“(1) Shri Inder Deep Singh Dhariwal, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs”;

(ii) After serial number (7) and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“(8) Shri Amarjit Chopra, Ex-President, Institute of Chartered Accountants of India

(9) Shri Anil Sharma, Partner (M/s A. Sharma & Co., Chartered Accountants), New Delhi”.

[F. No. NFRA-05/6/2018-NFRA-MCA]

INDER DEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 220(E), dated the 23rd March, 2022.